राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 8/2014/अलवर.
2. अपील संख्या – 9/2014/अलवर.

मैसर्स राठी ग्राफीकटेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भिवाड़ी. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर अलवर.
2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, भिवाड़ी. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05/12/2014

निर्णय

1. ये दोनों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर अलवर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 22/RVAT/2013–14/उपा/अपील्स/अलवर एवं 23/CST/2013–14/उपा/अपील्स/अलवर में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 22.11.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर (ए.ई.) वृत–भिवाड़ी (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24, 25, 55 व 61 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 24, 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 28.03.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक स्वीकार किया है।

2. इन दोनों प्रकरणों में पक्षकार व विवादित बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 10.02.2011 को किये जाने पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा **'टोनर'** का विक्रय 4.5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया जा रहा है, जबकि उक्त माल वेट अधिनियम की अनुसूची–IV में सम्मिलित नहीं होने से अनुसूची–V के अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर

लगातार.....2

योग्य है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा तदनुसार अन्तर कर, ब्याज एवं करापवंचन की मंशा से माल का विक्रय किया जाना मानते हुए धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

अपील संख्या	अधिनियम	अन्तर कर	ब्याज	शास्ति
8/2014	RVAT	2,70,035	76,689	5,40,070
9/2014	CST	36,04,894	10,53,079	41,64,542

4. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2013 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया एवं आरोपित अन्तर कर एवं ब्याज की पुष्टि की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल 'टोनर' है। राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014–13 दिनांक 14.07.2014 के द्वारा टोनर को अनुसूची–IV की प्रविष्ठि संख्या 105 में दिनांक 01.04.2006 से सम्मिलित कर लिया गया है। अतः इस पर अनुसूची–IV अनुसार 5 प्रतिशत की दर से ही कर देयता बनती है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा तदनुसार कर वसूल करते हुए राजकोष में जमा करवा दिया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अन्तर कर व ब्याज प्रथम दृष्टया विधिविरूद्ध है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक से सहमति व्यक्त की तथा कर दर को धारा 97ए के प्रावधानों के अधीन किये जाने का कथन किया।

कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2010–11 के दौरान 'टोनर' का विक्रय अनुसूची–IV के अनुसार 4.5 प्रतिशत की दर से कर वसूल करते हुए किया गया है, जबकि तत्समय अनुसूची–IV में 'टोनर' को प्रविष्ठि संख्या 105 में Exclude किया हुआ था, जो निम्न प्रकार है –

लगातार.....3

S.No.	Description of Goods	Rate of Tax
105.	Printing ink excluding toner and cartridges but including aluminum plate, graphic art film, plaster film.	4

9. इसके पश्चात राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.12(59)एफडी/टैक्स/2014—13 दिनांक 14.07.2014 के द्वारा 'टोनर' को अनुसूची—IV में दिनांक 01.04.2006 से ही सम्मिलित कर लिया गया है। अधिसूचना दिनांक 14.07.2014 का सम्बन्धित भाग निम्नानुसार है :—

NOTIFICATION

No.F.12(59)FD/Tax/2014-13 **Jaipur, July 14, 2014**

S.O. 35. In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 4 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Rajasthan Act No. 04 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in Schedule IV appended to thje said Act, with immediate effect, namely :-

AMENDMENTS

In Schedule IV appended to the said Act, -

(i) .....

(ii) the existing serial number 105 and entries thereto shall be deemed to have been substituted, with effect from 01.04.2006, by the following namely :-

105.	Printing ink excluding cartridges but including toner, aluminium plate, graphic art film, plaster film.	5	Subject to the provisions of section 97A of the Act.

10. उक्त अधिसूचना से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा 'टोनर' को दिनांक 01.04.2006 से ही वेट अधिनियम की अनुसूची—IV में धारा 97ए के प्रावधान के अधीन रखते हुए सम्मिलित कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में इस पर तदनुसार ही कर देयता बनती है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अनुसूची—IV अनुसार कर वसूल करते हुए माल का विक्रय किया जाकर देय वैट राजकोष में जमा करवाया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुसूची—V अनुसार करारोपण करते हुए तदनुसार ब्याज व शास्ति का आरोपण किया जाना प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध हो जाता है।

11. अपील संख्या 9/2014 (केन्द्रीय अधिनियम) से सम्बन्धित प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 'सी' फॉर्म एवं 'एफ' फॉर्म के अभाव में तदनुसार कर व ब्याज का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी द्वारा बकाया प्रपत्र दिनांक 31.12.2013 तक प्रस्तुत किये जाने का समय प्रदान किया गया है। किन्तु उक्त दिनांक तक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बकाया प्रपत्र प्रस्तुत

लगातार.....4

किये गये हैं अथवा नहीं, पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी को निर्देशित किया जाता है कि वे बकाया प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' दिनांक 31.12.2014 तक कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही कर निर्धारण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रपत्रों की वैधानिकता सम्बन्धी जांच उपरान्त, पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें।

12. परिणामतः **'टोनर'** पर आरोपित कर, ब्याज व शास्ति के सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार करते हुए, कर निर्धारण अधिकारी के पृथक—पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 28.03.2013 व अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.11.2013 अपास्त किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपील संख्या 9/2014 में बकाया प्रपत्र 'सी' एवं एफ के सम्बन्ध में अपील स्वीकार करते हुए, उपरोक्त निर्देशानुसार प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

13. निर्णय सुनाया गया।

5/12/2014

(मनोहर पुरी)
सदस्य

5.12.14

(मदन लाल)
सदस्य